

बिहार सरकार
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
विज्ञप्ति

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक-12/1/2015-SS दिनांक
17.03.2015 के द्वारा प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना 2015-16 हेतु आवेदन पत्र आमंत्रण की सूचना

राज्य के सरकारी अथवा मान्यता प्राप्त प्राइवेट विद्यालयों/शिक्षण संस्थानों अथवा सी०बी०एस०ई०/आई०सी०एस०ई० से अंगीभूत विद्यालयों/मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त मदरसा में अध्यनरत अधिसूचित अल्पसंख्यक यथा-मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी एवं जैन समुदाय के कक्षा 1 से 10 तक के छात्र/छात्राओं से वर्ष 2015-16 की छात्रवृत्ति के लिए विहित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किया जाता है। परंतु वैसी छात्राएँ जिन्हें राज्य प्रायोजित छात्रवृत्ति योजना के तहत अच्छादित किया जा रहा है, इस योजना में आवेदन नहीं करेगी। कक्षा 1 से 8 तक के छात्र/छात्रा ऑफलाईन आवेदन करेंगे, परन्तु कक्षा 9 एवं 10 वर्ग के छात्र/छात्राओं को ऑनलाईन आवेदन ही करना है, जिसका वेबसाइट www.scholarships.gov.in है। बिहार में अध्यनरत छात्र अपना आवेदन/हार्ड कॉपी (ऑन लाईन छात्र/छात्राओं के लिए) अपने शिक्षण संस्थान से अग्रसारित कराकर उस जिला के जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के कार्यालय में डाक से भेजेंगे अथवा हाथों-हाथ जमा करेंगे, जिस जिला में उनका शिक्षण संस्थान अवस्थित है, परंतु बिहार से बाहर अध्यनरत छात्र अपना आवेदन/हार्ड कॉपी अपने गृह जिला के जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के कार्यालय में डाक से भेजेंगे अथवा हाथों-हाथ जमा करें। वर्ग 1 से 8 तक का ऑफलाईन आवेदन जमा करने की अवधि 01 मई 2015 से 31 जुलाई 2015 है। वर्ग 9 एवं 10 हेतु ऑनलाईन आवेदन करने, संस्थान एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी द्वारा स्कूटिनी करने की निर्धारित अवधि भी 1 मई 2015 से 31 जुलाई 2015 तक है। निर्धारित अवधि के बाद प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा। वर्ग 1 से 8 हेतु आवेदन का प्रपत्र वेबसाइट www.minoritywelfare.bih.nic से डाउन लोड कर उपयोग किया जा सकता है एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

अर्हताएँ:-

1. गत परीक्षा में 50 प्रतिशत से कम प्राप्तांक न हो (वर्ग 1 को छोड़कर)।
2. कक्षा 1 से 8 तक के छात्र का अपना बैंक खाता अथवा माता/पिता/अभिभावक का बैंक खाता होना चाहिए। क्योंकि छात्रवृत्ति की राशि सीधे बैंक खाता में ही DBT द्वारा भेजी जायेगी।
3. कक्षा 9 एवं 10 के छात्र का अपना बैंक खाता होना चाहिए।
4. विद्यार्थी द्वारा कोई दूसरी छात्रवृत्ति नहीं ली गई हो।
5. परिवार की वार्षिक आय एक लाख रुपये से अधिक न हो।


6. एक परिवार के दो से अधिक बच्चों को यह छात्रवृत्ति नहीं दी जायेगी ।
7. वैसे छात्र जो एक से अधिक आवेदन पत्र जमा करेंगे, वैसे सभी आवेदन रद्द कर दिये जायेंगे ।
8. आवेदन, हार्ड कॉपी एवं बैंक स्टेटमेन्ट में किसी प्रकार की विसंगति/त्रुटि होने पर अभ्यर्थी के आवेदन रद्द हो सकते हैं ।

छात्रवृत्ति की दरें:-

1. छात्रवृत्ति एक वर्ष के लिए स्वीकृत की जायेगी ।
2. कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थी को 1000/- रुपये वार्षिक देय है ।
3. कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थी को नामांकन शुल्क 500/- रुपये या वास्तविक तथा शिक्षण शुल्क अधिकतम 350/- रुपये मासिक या वास्तविक एवं निर्वहन भत्ता होस्टलरों के लिए अधिकतम 6000/- रुपये वार्षिक या वास्तविक तथा डे-स्कालर के लिए 1000/- रुपये वार्षिक देय होगा ।

आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज/प्रमाण पत्र:-

1. गत परीक्षा में प्राप्तांक की अभिप्रमाणित प्रति (वर्ग 1 को छोड़कर) ।
2. स्वअभिप्रमाणित पासपोर्ट साईज फोटो ।
3. अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत आय प्रमाण-पत्र । नियोजित माता-पिता के मामले में नियोक्ता के द्वारा दिया गया आय-प्रमाण पत्र ।
4. छात्र/परिवार किसी एक सदस्य (माता/पिता) के बैंक खाता का छायाप्रति जिसमें बैंक का IFSC कोड अंकित हो ।
5. संबंधित शिक्षण संस्थान से आवेदन/हार्ड कॉपी पर अग्रसारण अनिवार्य है ।


15-4-15
प्रधान सचिव
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
बिहार, पटना

APPLICATION FORM FOR PRE MATRIC SCHOLARSHIP

FOR CLASS 1 TO 8 STUDENTS BELONGING TO THE MINORITY COMMUNITIES OF BIHAR

NEW

For the Year 2015-16

RENEWAL

PHOTO

PART-1

FOR OFFICE USE ONLY

SL. NO. OF APPLICATION	ACADEMIC YEAR	CLASS	INCOME	SELECTED/NOT SELECTED

PART-2

(TO BE FILLED BY THE APPLICATION IN BLOCK LETTERS)

1	Student's Name				
2	Father's Name				
3	Mother's Name				
4	Residential Address	Vill. / Mohalla		Ward No.	
	Block		Panchayat		
	DISTRICT			PIN	
	Contact/Mobile No.		Religion		
5	Male/Female		Age	Date of Birth/...../.....
6	Present Class				Roll No.
7	Annual Income of the Parent/Guardian	Note :- Certificate issued by C.O. /Competent Authority or Certificate of employers (in case of servicemen)			
8	Details of Last Passed Examination (enclosed copy of Mark sheet/Grade)				
	Name of the Examination	Name of the Class	Year of Passing	Marks obtained/Grade	% of Marks
9	Hosteller / Day Scholar				
10	Charge/Fee of Hostel				
11	Aadhar No. of Candidate (If Available)				Nationality
12	Name & Address of the Present School				
	DISTRICT			STATE	
	Contact/Mobile No.			PIN	
13	Status of the Institution*	PRIVATE		GOVT.	
14	Annual Course Fee	Rs.			
	SL. No.	Item	Amount (Rs.)		
	1	Admission Fee			
	2	Tuition Fee			
	3	Maintenance Allowance			
15	Name of the Bank & Branch				
16	Details of the Bank Account No:			IFSC Code	
17	Relative with Account Holder Self/Father/Mother/ Guardian				

18. Documents enclosed with the application:

- (i) Income Certificate issued from C.O./Competent Authority or Certificate from the employer in case of employed Parents/Guardian.
- (ii) Marks sheet of last examination (Except class-I)
- (iii) Photocopy of Bank Pass book

P.T.O.....

19. Declaration of Student:

- (i) I hereby declare that the information given above is correct.
- (ii) I am not availing any other scholarship for this purpose from any State/Central Govt.
- (iii) I shall abide by the terms and conditions for sanction of the Pre-Matric Scholarship.
- (iv) If the information given by me is found to be false/incorrect, the scholarship sanctioned to me, may be cancelled and the entire amount of scholarship will be refunded by me or recovered from me, apart from penal action as warranted.

Date:

Place:

Signature of the Student

(Signature of Parents/Guardian for Class 1-V Students)

(To be Filled up by the Head of the School/Institute)

PART-3

Verification/information to be furnished by the Head of School Institute:

(i) It is certified that the information filled in the above mentioned columns (i to 19) by Shri/Kumari..... S/O/D/O Shri who is studying in class for the academic session 2015-16 in this School/Institute is correct.

(ii) It is also certified that the above student belongs to (Name of Minority Community).

Date:

Place

Signature of Head of the School/Institute with official seal

नोट:-1. बिहार में अध्यनरत छात्र/छात्रा जिस जिला में नामांकित है उस जिला के अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी (DMWO) के कार्यालय में और ऐसे छात्र/छात्रा जो बिहार के बाहर किसी दूसरे राज्य में अध्यनरत हैं वह अपने गृह जिला के अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी (DMWO) के कार्यालय में रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट/हाथों हाथ, अंकपत्र, आय प्रमाण पत्र के साथ आवेदन जमा कर सकते हैं ।

2. वैसी छात्राएँ जिन्हें राज्य प्रायोजित छात्रवृत्ति योजना के तहत आच्छादित किया जा रहा है, इस योजनानतर्गत आवेदन नहीं करेंगी ।